

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 368]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 जून 2018—आषाढ़ 8, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जून 2018

क्र. एफ. ए-3-41-2017-1-पांच (56).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि परिषद् की सिफारिश पर ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-41-2017-1-पांच (47), दिनांक 30 जून 2017 एवं एफ-ए-3-41-2017-1-पांच (36), दिनांक 24 मार्च 2018 द्वारा अंतिम बार संशोधित अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, “30 जून 2018” अंकों और शब्द के स्थान पर “30 सितम्बर, 2018” अंक और शब्द रखा जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 29 जून 2018

क्र. एफ-ए-3-41-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-41-2017-1-पांच (56), दिनांक 29 जून 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव।

Bhopal, the 29th June 2018

No. F. A-3-41-2017-1-V-(56).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Service Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in this department's notification No. FA-3-41-2017-1-V(47), dated 30th June, 2017 and last amended vide notification No. FA-3-41-2017-1-V(36), dated 24th March 2018, namely:—

In the said notification, for the figures, letters and words “30th day of June, 2018”, the figures, letters and words “30th day of September, 2018” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.